प्रेषक,

एल0बी0 सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या 51 -7-20

संयुक्त शिक्षा निदेशक
चतुर्थ मण्डल-इलाहाबाद
16/3/10

सेवा में,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
इलाहाबाद मण्डल,
इलाहाबाद

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊः दिनांकः 26 फरवरी, 2010

विषयः- आई0सी0एस0ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु भूमि का मानक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक--शिविर/8950--51/2009--10 दिनांक 8-2-2010 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई0सी0एस0ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु इच्छुक शिक्षण संस्थाओं को शहरी क्षेत्र में न्यूनतम 1000 वर्ग मी0 एकजाई भूमि होने का मानक शासनादेश दिनांक 29-2-2008 द्वारा निर्धारित किया गया है। उक्त मानक यू0पी0 बोर्ड की तर्ज पर निर्धारित किया गया है। यू0पी0 बोर्ड में शहरी क्षेत्र के विद्यालयों की मान्यता हेतु न्यूनतम 1000 वर्गमी0 का मानक निर्धारित है। राज्य सरकार द्वारा संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है, संबंधित संस्थाओं को मान्यता/संबद्धता दिये जाने का कार्य संबंधित बोर्ड का है।

2-- कृपया तदनुसार भूमि के संबंध में शासन द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 29-2-2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(एल0बी0 सिंह)
उप सचिव।

Missle